प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में

उप निदेशक मत्स्य
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
........................।

पत्रांक 1515 A/नि0शा0/वि0स्वी0-5 दिनांक 22 अगस्त, 2019

विषयः ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत 353 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018--19(कार्यान्वयन वर्ष 2019.20) में धनराशि रू0 224.40 लाख की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष्य अवशेष 21 मछुआ आवासों हेतु धनराशि रू0 25.20 लाख तथा सामान्य वर्ग हेतु अवशेष 95 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 114.00 लाख की धनराशि, कुल रू0 139.20 लाख का बजट आवंटन :

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 15/2019/598/सत्रह--म--2019--6--9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 06 जून, 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा संलग्न सूची के अनुसार प्रति मछुआ आवास की इकाई लागत धनराशि रू0 1.20 लाख की दर से वित्तीय वर्ष 2018--19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019--20) में 16 जनपदों में 353 मछुआ आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष/पुनर्वैध धनराशि रू0 224.40 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार रू मात्र) (केन्द्रांश रू0 134.64 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 89.76 लाख) की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष 21 मछुआ आवासों हेतु अवशेष धनराशि रू0 25.20 लाख तथा शासनादेश संख्या 827/सत्रह--म--2019--6--9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 29 जुलाई, 2019 द्वारा निर्गत सामान्य वित्तीय वर्ष 2018--19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019--20) में सामान्य वर्ग हेतु अवशेष 95 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 114.00 लाख (केन्द्रांश रू0 68.40 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 45.60 लाख मात्र), कुल धनराशि रू0 139.20 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों में प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है--

1--भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन-- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना के कियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0--20/2016/2362/सत्रह--म--2016--6--9(333)/2016 दिनांक 24.12.2016 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देश/गाइडलाइन्स एवं शासनादेश सं0--18/2017/1128/सत्रह--म--2017--6--9(333)/2016 दिनांक 07.07.2017 व शासनादेश सं0--02/2018/2236/सत्रह--म--2018--6--9(333)/2016 दिनांक 23.01.2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2-- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत/अद्यतन शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था प्रकिया आदि का अनुसरण कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3-- भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009--एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर--5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु **डी0बी0टी0 प्लेटफार्म** का उपयोग तथा **प्रस्तर--9** के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण--पत्र का प्रेषण EAT MODULE OF PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4--स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

5-- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019--20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

6-- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

7-- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय--समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8-- जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

9-- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित विभाग द्वारा समय--समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ--साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर--12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

10--वित्त (आय--व्ययक) अनुभाग--1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019/बी--1--170/दस--2019--231/2019 दिनांक 22--03--2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11-- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(1) उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019--20 में अनुदान सं0--17 "लेखा शीर्षक--2405--मछली पालन--101--अन्तर्देशीय मछली पालन-- 01--केन्द्र प्रायोजित योजनाएं--0102--ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज, 35--पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

(2)-- योजनान्तर्गत प्रस्तावित मछुआ आवासों का आवंटन एवं अपेक्षित धनराशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।

(3) उक्त बजट का आवटन का अंकन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-- (94) पर अंकित है।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार। संलग्नक--उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक /नि0शा0/ वि0र0वी0 5 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद

1-- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2-- अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

3-- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

4-- उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।

5-- गार्ड फाइल।

6-- प्रभारी कम्प्यूटर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

7--

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में

उप निदेशक मत्स्य
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.... ।

पत्रांक /नि0शा0/वि0स्वी0- 5 दिनांक 22 अगस्त, 2019

विषयः ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत 353 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018--19(कार्यान्वयन वर्ष 2019.20) में धनराशि रू0 224.40 लाख की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष्य अवशेष 21 मछुआ आवासों हेतु धनराशि रू0 25.20 लाख तथा सामान्य वर्ग हेतु अवशेष 95 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 114.00 लाख की धनराशि, कुल रू0 139.20 लाख का बजट आवंटन :

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 15/2019/598/सत्रह--म--2019--6--9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 06 जून, 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सलग्न सूची के अनुसार प्रति मछुआ आवास की इकाई लागत धनराशि रू0 1.20 लाख की दर से वित्तीय वर्ष 2018--19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019--20) में 16 जनपदों में 353 मछुआ आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष/पुनर्वैध धनराशि रू0 224.40 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार रू मात्र) (केन्द्रांश रू0 134.64 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 89.76 लाख) की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष 21 मछुआ आवासों हेतु अवशेष धनराशि रू0 25.20 लाख तथा शासनादेश संख्या 827/सत्रह--म--2019--6--9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 29 जुलाई, 2019 द्वारा निर्गत सामान्य वित्तीय वर्ष 2018--19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019--20) में सामान्य वर्ग हेतु अवशेष 95 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 114.00 लाख (केन्द्रांश रू0 68.40 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 45.60 लाख मात्र), कुल धनराशि रू0 139.20 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों में प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है--

1--भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन-- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0--20/2016/2362/सत्रह--म--2016--6--9(333)/2016 दिनांक 24.12.2016 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देश/गाइडलाइन्स एवं शासनादेश सं0--18/2017/1128/सत्रह--म--2017--6--9(333)/2016 दिनांक 07.07.2017 व शासनादेश सं0--02/2018/2236/सत्रह--म--2018--6--9(333)/2016 दिनांक 23.01.2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2-- निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत/अद्यतन शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था प्रक्रिया आदि का अनुसरण कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3-- भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009--एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर--5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु **डी0बी0टी0 प्लेटफार्म** का उपयोग तथा **प्रस्तर--9** के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण--पत्र का प्रेषण EAT MODULE OF PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4--स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

5-- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019--20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

6-- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

7-- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8-- जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

9-- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित विभाग द्वारा समय--समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ--साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर--12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

10--वित्त (आय--व्ययक) अनुभाग--1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019/बी--1--170/दस--2019--231/2019 दिनांक 22--03--2019 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11-- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(1) उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019--20 में अनुदान सं0--17 "लेखा शीर्षक--2405--मछली पालन--101--अन्तर्देशीय मछली पालन-- 01--केन्द्र प्रायोजित योजनाएं--0102--ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज, 35--पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

(2)-- योजनान्तर्गत प्रस्तावित मछुआ आवासों का आवंटन एवं अपेक्षित धनराशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।

(3) उक्त बजट का आवटन का अंकन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-- (94) पर अंकित है।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार। संलग्नक--उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 1515 A /नि0शा0/ वि0स्वी0 5 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1-- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद
2-- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-- अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4-- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5-- उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
6-- गार्ड फाइल।
7-- प्रभारी कम्प्यूटर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-22/08/2019

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MACHUWA AWASH ALLOTMENT BLUE REV 21-8-2019
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	5880000 5880000	5880000 5880000
2	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400000 2400000	2400000 2400000
3	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	5640000 5640000	5640000 5640000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13920000 13920000	13920000 13920000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रेषक,

निदेशक,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

वित्त एवं लेखाधिकारी
मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 1509 /नि0शा0/वि0स्वी0–5

दिनांक :21 अगस्त , 2019

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019–20) में ब्लू रिवोल्यूशनःइन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु अवशेष 95 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 114.00 लाख की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का जनपदवार बजट आवंटन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 827/सत्रह–म– 2019–6–9(333) /2016 टी0सी0 दिनांक 29 जुलाई, 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019–20) में मत्स्य विभाग में संचालित ब्लू रिवोल्यूशन– इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत जनपदवार मछुआ आवास के निर्माण हेतु शासन द्वारा रू0 114.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0–827/सत्रह–म– 2019–6–9(333) /2016 टी0सी0 दिनांक 29 जुलाई, 2019 द्वारा इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि शासनादेश में संलग्न तालिकानुसार डी0बी0टी0 पोर्टल से उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29.07.2019 में इंगित जनपदों के आहरण–वितरण अधिकारी, जो निम्नवत् है उन्हें बजट आवंटित करने का कष्ट करें।

जनपद का नाम	धनराशि (रू0 लाख मे)	आहरण–वितरण अधिकारी
आगरा	28.80	उप निदेशक मत्स्य, आगरा
फिरोजाबाद	28.80	उप निदेशक मत्स्य, आगरा
गोरखपुर	28.80	उप निदेशक मत्स्य, गोरखपुर
देवरिया	27.60	उप निदेशक मत्स्य, गोरखपुर
कुल योग–	114.00	

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

221/नि०शा०
07/8/2019

संख्या: 827/ सत्रह-म-2019-6-9 (333) /2016 टी०सी०

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई 2019

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु अवशेष 95 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 114.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 177 /नि0शा0, 2018-19, दिनांक 26 जून, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के मछुआ आवासों की निर्माण योजना में वर्ष 2018-19 की अवशेष/ अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 मे व्यय करने हेतु भारत सरकार द्वारा पुर्नवैध कर दिये जाने के फलस्वरूप, आय-व्ययक 2019-20 मे प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 95 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु कुल रू0 114.00 लाख (केन्द्रांश रू0 68.40 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 45.60 लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12012/27/2009-एफवाई(डब्ल्यू यू0) दिनांक 31.12.2018 के माध्यम से मछुआ आवासों की निर्माण परियोजना हेतु कुल 1000 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 लाख का 60 प्रतिशत अर्थात रू0 0.72 लाख की दर से कुल केन्द्रांश रू0 720.00 लाख की धनराशि के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करते हुए सामान्य मद में 448 मछुआ आवासों के निर्माण के लिए केन्द्रांश के रूप में कुल धनराशि रू0 322.56 लाख आवंटित/ उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें से 353 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु आवश्यक कुल धनराशि रू0 423.60 लाख (केन्द्रांश 254.16 लाख एवं राज्यांश रू0 169.44 लाख) की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं और रू0 68.40 लाख की केन्द्रांश धनराशि अवशेष रही। भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 25.04.2019 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की समस्त अवशेष/ अप्रयुक्त धनराशि को पुनर्वैध कर दिया गया है तथा मछुआ आवास हेतु आय-व्ययक 2019-20 में प्राविधानित कुल बजट धनराशि रू0 1200.00 लाख में से रू0 975.60 लाख की धनराशि अवशेष है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) मे ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद में अवशेष 95 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु अवशेष/ पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 68.40 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 45.60 लाख अर्थात कुल रू0 114.00 लाख (रू0 एक करोड चौदह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2019 -20 में सामान्य वर्ग हेतु मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	योग
1	आगरा	24	17.28	11.52	28.80
2	फिरोजाबाद	24	17.28	11.52	28.80
3	गोरखपुर	24	17.28	11.52	28.80
4	देवरिया	23	16.56	11.04	27.60
	योग -	95	**68.40**	**45.60**	**114.00**

(रू0 एक करोड चौदह लाख मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज"योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग - निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत/अद्यतन शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009-एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर- 5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु **डी0बी0टी0 प्लेटफार्म** का उपयोग तथा प्रस्तर- 9 के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण **EAT MODULE OF PFMS** से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019/ बी-1-170 / दस -2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-17 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज, 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2019/ बी-1-170 / दस -2019- 231 / 2019 दिनांक 22.03.2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या : 827 (1)/सत्रह-म- 2019 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।

7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

वित्त एवं लेखाधिकारी
मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 1508/नि0शा0/वि0स्वी0–5 दिनांक : 21 अगस्त , 2019

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019–20) में ब्लू रिवोल्यूशनःइन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु अवशेष 21 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 25.20 लाख का बजट आवंटन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–15/2019/598/सत्रह–म–2019–6–9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 06.06.2019 द्वारा जारी रू0 224.40 लाख का आवंटन आहरण–वितरण अधिकारी, मत्स्य निदेशालय को किया गया था जिसके सापेक्ष्य 187.80 लाख का व्यय निदेशालय पत्र सं0–1180/नि0शा0/वि0स्वी0 दिनांक 04.07.2019 के कम में निदेशालय स्तर से किया जा चुका है शेष धनराशि रू0 25.20 लाख का समर्पण आहरण–वितरण अधिकारी, मत्स्य निदेशालय से लेते हुए निम्न को आवंटित करने का कष्ट करें।

जनपद का नाम	धनराशि (रू0 लाख में)	आहरण–वितरण अधिकारी
शाहजहांपुर	24.00	सहायक निदेशक मत्स्य, शाहजहांपुर
फिरोजाबाद	1.20	उप निदेशक मत्स्य, आगरा
कुल योग–	25.20	

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

भवदीय,

21/8/2019

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवश्यक
श्री Sanjay
21/8/19

संख्या: /2019 /598/ सत्रह-म-2019-6-9 (333) /2016 टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊ: दिनांक 08 जून मई, 2019

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण हेतु सामान्य मद में अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 224.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 127 /नि0शा0,2019-20 दिनांक 10 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण हेतु सामान्य मद मे अवशेष धनराशि के सापेक्ष 16 जनपदों में 353 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 224.40 लाख (दो करोड चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12012/27/2009-एफवाई(डब्ल्यू यू) दिनांक 31.12.2018 के माध्यम से मछुआ आवासों के निर्माण परियोजना हेतु कुल 1000 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 लाख का 60 प्रतिशत अर्थात रू0 0.72 लाख की दर से कुल केन्द्रांश रू0 720.00 लाख का अनुमोदन प्रदान करते हुए सामान्य मद में प्रथम किश्त के रूप में 448 आवासों के निर्माण हेतु रू0 322.56 लाख (केन्द्रांश रू0 322.46155 लाख स्वीकृति के रूप में +रू0 0.09845 लाख को पूर्व में संचालित मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार में अवशेष धनराशि के समायोजन के रूप में) अवमुक्त किया गया था। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-4/2019/298/ सत्रह-म-2019-6-9(333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 01.03.2019 द्वारा चिन्हित 353 मछुआ आवासों के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रू0 423.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसके सापेक्ष विगत वर्ष योजनान्तर्गत धनराशि रू0 199.20 लाख का व्यय हुआ और रू0 224.40 लाख की धनराशि अवशेष रही। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 25.04.2019 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की समस्त अप्रयुक्त/ अवशेष केन्द्रीय सहायता को वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना की मछुआ आवास योजनान्तर्गत 16 जनपदों में 353 मछुआ आवासों के निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष/ पुनर्वैध धनराशि रू0 224.40 लाख (दो करोड चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 134.64 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 89.76 लाख) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक-1 की तालिकानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज"योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग - निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश/ गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों तथा अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(२) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज आर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(3) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(५) भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009-एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर- 5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा प्रस्तर- 9 के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण EAT MODULE OF PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

---

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनाक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019 -20 में अनुदान संख्या -17 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज, 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019 -231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

3.5.19

(प्रशान्त शर्मा)

विशेष सचिव

संख्या : 15 /2019 /598(1)/सत्रह-म- 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)

अनुसचिव।

लेखा F

संलग्नक- 1

(शासनादेश संख्या: /2019 /598 /सत्रह-म-2019-6-9(333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 06 जून ~~मई~~, 2019)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सामान्य वर्ग हेतु मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	फतेहपुर	20	7.20	4.80	12.00
2	सिद्धार्थ नगर	20	7.20	4.80	12.00
3	शाहजहाँपुर	20	14.40	9.60	24.00
4	अयोध्या	20	7.20	4.80	12.00
5	चित्रकूट	20	7.20	4.80	12.00
6	चन्दौली	20	7.20	4.80	12.00
7	बलिया	20	7.20	4.80	12.00
8	बलरामपुर	20	7.20	4.80	12.00
9	सोनभद्र	20	7.20	4.80	12.00
10	वाराणसी	20	7.20	4.80	12.00
11	बहराइच	20	7.20	4.80	12.00
12	आगरा	20	7.20	4.80	12.00
13	गोरखपुर	20	7.20	4.80	12.00
14	श्रावस्ती	20	7.20	4.80	12.00
15	फिरोजाबाद	53	19.44	12.96	32.40
16	देवरिया	20	7.20	4.80	12.00
	कुल योग -	353	134.64	89.76	224.40

(कुल रूपया दो करोड चौबीस लाख चालीस हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।